भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3822

24.03.2025 को उत्तर के लिए

प्रभावित क्षेत्रों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों से छूट

3822. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मनरोथुरुथ जैसे क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के कारण महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे हजारों निवासी प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रभावित आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए इन विनियमों में छूट या संशोधन के लिए केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा निवासियों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए अनुरोधित छूट या संशोधन पर विचार किया गया है; और

(घ) क्या पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सीआरजेड विनियमों की समीक्षा और संभावित संशोधन के लिए कोई चर्चा या योजना चल रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16/10/2024 को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के तहत केरल से संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को मंजूरी दी। स्वीकृत सीजेडएमपी के अनुसार, सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुरूप, श्रेणी-I की 66 पंचायतों को 'अन्य मौजूदा कानूनी रूप से नामित शहरी क्षेत्रों' के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि सीआरजेड अधिसूचना 2019 से पहले केरल सरकार द्वारा उन्हें शहरी पंचायतों के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार नामित किया जाना सीजेडएमपी 2019 के अंतर्गत इन पंचायतों के लिए अतिरिक्त विकास के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, इन 66 तटीय पंचायतों के भीतर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों को सीआरजेड-II के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उन्हें लागू मानदंडों के अनुसार सीआरजेड-III क या सीआरजेड-III ख के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके बाद, इस मंत्रालय को मनरोथुरुथ में सीआरजेड नियमों के कारण हो रहे मुद्दों के संबंध में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों में संशोधन या पुनरीक्षण करने के संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****